

13.2.20 पत्तावली आजा ट्रिगं क को वशीलवादी
 द्वारा अशुभ सुनवाई प्रार्थना पत्र कीस पर वकील
 प्रतिवादी ने जो ओकेलेशन किया पेश करने
 पर पेशी में ली गई। वकील वादी ने मम
 वादी उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र काकात
 विद्रा पेश किया। वादी प्रार्थना पत्र अस्थाई
 निषेधाज्ञा को आगे नही चलावा चाहता है
 और वाद प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा
 को विद्रा कर खारिज करवाना चाहता है
 अस्थाई निषेधाज्ञा विद्रा निमे जाने पर ला रिजा-
 निमा जाता है। आदेश खुले आयातम से
 सुनाया गया। पत्तावली वक्ता से मम होकर
 दारुणिक इफ्तार हो

4/12/24
 Identified by
 [Signature]

[Signature]
 उपखण्ड अधिकारी
 साँभर लेक (जयपुर)

